8.2.2023

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1 व 3 के वकील अनुपस्थित। शेष एकतरफा।

आवेदन के तथ्यों पर वकील प्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्तखातेदारी का खेत खेत खसरा संख्या 125 रकबा 14.3031 हैक्टेयर ग्राम लाखाबेरी पटवार कादानाही तहसील सिणधरी जिला बाडमेर अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे काश्त व बंटवारे अनूसार काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी के इसी कब्जे काश्त के सेढा सेढ खसरा संख्या 126/1 रकबा 1.2863 हैक्टेयर जो अपनी पत्नि श्रीमति नेनू देवी पत्नि पेमाराम के नाम से खरीदा हुआ [illegible] का कब्जा काश्त खसरा संख्या 126/1 से लगता हुआ खसरा संख्या 125 पर अपने 1/4 हिस्से की भूमि का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जो एक चक के रूप में आया हुआ है। जिनके चारो तरफ सेढा माठ बनी हुई है। इसी कब्जा काश्त अनुसार वादी राजस्व रेकर्ड में तरमीम करने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तब प्रतिवादीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:06:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

64/2022

सहमति देने से मना कर दिया तथा मेरे कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने लगे तथा हमेशा तनाव की स्थिति रहती है। तथा साथ ही वर्तमान में भूमि की कीमतों में बढोतरी के मदेनजर विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते रहते है तथा प्रार्थी को बाहमी बंटवारे ने प्राप्त भूमि जो खसरा संख्या 126/1 के सेढा से प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है। उक्त बाहमी बंटवाडें में प्राप्त भूमि पर विप्रार्थीगण जबरन निर्माण कर स्वयं का कब्जा पुख्ता करने तथा प्रार्थी के द्वारा पिछले 20 वर्षो से उपजाऊ बनई हुईभूमि को खसरा सामलाती होने से किसी अजनबी केता को बेचने पर आमादा है। साथ ही मौके की स्थिति में भारी परिवर्तन करने को प्रयासरत है। यदि इस प्रकार की हरकते करने में विप्रार्थीगण सफल हो गए तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिनकी पूर्ति करना भविष्य में संभव नहीं है। इस स्थिति में अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर मौजा ग्राम लाखाबेरी पटवार हल्का कादानाडी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 125 रकबा 14.3031 हैक्टेयर में प्रर्थी के कब्जे काश्त की भूमि जो खसरा संख्या 126/1 के सेढा सेढ़ कब्जा काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलनदाजी हस्तक्षेप, परिवर्तन, बाधा परिवर्तन न तो स्वयं करे व न किसी अन्य से करवाए। जब तक प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं होता है तब तक मौके किसी प्रकार का निर्माण, दखलनदाजी इत्यादी नहीं करे। मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। इस आशय की अस्थई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में व विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावे।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं परीक्षण किया, जिसके अनुसार पाया गया कि वादग्रस्त भूमि खेत मौजा लाखाबेरी तहसील सिणधरी में अवस्थित खेत खसरा नम्बर 125 रकबा 14.3031 हैक्टेयर पक्षकारान की संयुक्त एवं सामलाती कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें पक्षकारान् के हिस्से भी राजस्व रेकर्ड में खुले हुए है। जंहा तक प्रार्थी वकील का तर्क है कि विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है। जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि पक्षकारान के मध्य विवाद का मुख्य कारण सामलाती भूमि के कब्जे को लेकर है, जंहा तक प्रार्थीगण वकील की दलील है कि जब तक विधिवत बंटवाड़ा नही हो तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच की सामलाती भूमि पर समान रूप से कब्जा माना जाता है, इस स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में बनना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में सामलाती कब्जे काश्त की भूमि में दोनों पक्षों को उनके आपसी कब्जे काश्त की भूमि में जब तक विधिवत विभाजन न हो तब तक मौके पर कब्जे काश्त की भूमि पर जरिये निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:06:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ... भूमि मौजा लाखाबेरी तहसील सिणधरी में अवस्थित खेत खसरा ... 125 रकबा 14.3031 हैक्टेयर में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के संबंध में ताफैसला मूल वाद तक विप्रार्थी सं. 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी मौका कब्जा स्थिति में किसी प्रकार की दखलदांजी इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:06:34 IST
Reason: SelfAttested